## Central Goods & Services Tax Act, 2017

## Section 152: Bar on disclosure of information

- (1) No information <sup>1</sup>[\*\*\*\*] with respect to any matter given for the purposes of section 150 or section 151 shall, without the previous consent in writing of the concerned person or his authorised representative, be published in such manner so as to enable such particulars to be identified as referring to a particular person and no such information shall be used for the purpose of any proceedings under this Act <sup>2</sup>[without giving an opportunity of being heard to the person concerned.]
- (2) <sup>3</sup>[\*\*\*\*]
- (3) Nothing in this section shall apply to the publication of any information relating to a class of taxable persons or class of transactions, if in the opinion of the Commissioner, it is desirable in the public interest to publish such information.

1 The words "of any individual return or part thereof" omitted by the Finance Act, 2021 (No. 13 of 2021). It is made effective from 01-01-2022 by Noti. No. 39/2021– Central Tax, dt. 21-12-2021.

<sup>2</sup> Inserted by the Finance Act, 2021 (No. 13 of 2021). It is made effective from 01-01-2022 by Noti. No. 39/2021–Central Tax, dt. 21-12-2021.

Sub-section (2) omitted by the Finance Act, 2021 (No. 13 of 2021). It is made effective from 01-01-2022 by Noti. No. 39/2021–Central Tax, dt. 21-12-2021. Earlier to omission it read as under:

<sup>&</sup>quot;(2) Except for the purposes of prosecution under this Act or any other Act for the time being in force, no person who is not engaged in the collection of statistics under this Act or compilation or computerisation thereof for the purposes of this Act, shall be permitted to see or have access to any information or any individual return referred to in section 151."

## धारा 152 : सूचना के प्रकटन पर वर्जन

(1) धारा 150 या धारा 151 के प्रयोजनों के लिए किसी मामले के संबंध में दी गई <sup>1</sup>[.....] सूचना, संबद्ध व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की लिखित पूर्व सहमित के बिना ऐसी रीति से प्रकाशित नहीं की जाएगी तािक विशिष्ट व्यक्ति से संबंधित विशिष्टियों की पहचान को समर्थ बनाया जा सके और ऐसी सूचना <sup>2</sup>[संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना] इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएगी।

## (2) 3[.....]

(3) इस धारा की कोई बात, कराधेय व्यक्तियों के वर्ग या संव्यवहारों के वर्ग से संबंधित किसी सूचना के प्रकाशन को लागू नहीं होगी, यदि आयुक्त की राय में ऐसी सूचना का प्रकाशन लोकहित में वांछनीय है।

1 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा "किसी विवरणी या उसके भाग की" विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021—केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।

<sup>2</sup> वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021—केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।

<sup>3</sup> वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा उपधारा (2) विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021—केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थी:

<sup>&</sup>quot;(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजन को छोड़कर, ऐसे किसी व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन आंकड़ों को एकत्रित करने में या इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उनके संकलन या उसके कम्प्यूटरीकरण में नहीं लगा हुआ है, धारा 151 में निर्दिष्ट कोई सूचना या कोई व्यष्टि विवरणी को देखने या उस तक पहुंच को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।"